भाग I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 दिसम्बर, 2009

संख्या लैज़ 30/2009.—दि हरियाणा म्यूनिसिपॅल कॉ:पॅरेशन (से'कॅन्ड् अॅमेन्ड्मॅन्ट) ऐक्ट, 2009, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 नवम्बर, 2009, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2009 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम,

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (4) के परन्तुक में, ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दो वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 72 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएंगी, अर्थात् :— 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 72क का रखा जाना।

"72क. **निर्धन निधि की सेवाओं का गठन** .- (1) निर्धन निधि सेवा के नाम से निर्धन तथा गंदी-बस्ती क्षेत्रों के निवासियों को सेवाएं देने के लिए अलग से निधि का गठन किया जायेगा। यह निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(i) गंदी-बस्ती क्षेत्र में किसी व्यक्ति या उसमें स्थित किसी सम्पत्ति पर किसी किराये, कर, जुर्माना, उपशुल्क या उपकर द्वारा जुटाए गए सभी धन;

(ii) केन्द्रीय/राज्य या किसी अन्य एजेंसी से गंदी-बस्ती क्षेत्र के विकास के लिए प्राप्त कोई अनुदान ;

(iii) निर्धन की सेवा के लिए किसी व्यष्टि या व्यष्टि-संगम से अनुदानों या उपहारों या निक्षेपों के रूप में प्राप्त धन;

(iv) निगम द्वारा या निगम की ओर से या विशिष्ट रूप से इस निधि के लिए बने किसी स्रोत से प्राप्त सभी धन; तथा

(v) कोई निधि जो आयुक्त द्वारा निगम निधि से इस निधि के प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट मुख्य लेखा शीर्ष के अधीन अंतरित की जा सकती है। ''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 78क का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 78 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**78क. निर्धन निधि की सेवाओं का उपयोग**.- (1) निधि निर्धन तथा गंदी-बस्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सेवाएं प्रोन्नत करने हेतु उपयोग में लाई जाएगी तथा निगम प्रयास करेगा कि प्रतिवर्ष कम से कम,—

(i) कुल राजस्व आय का 20 प्रतिशत ;

(ii) राजस्व व्यय का 20 प्रतिशत ; या

(iii) कुल पूंजी व्यय का 25 प्रतिशत,

जो भी अधिक हो, निर्धन तथा गंदी-बस्ती क्षेत्रों के निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया गया हो।

> ***व्याख्या***.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सेवाओं" में मूल पर्यावरण-संबंधी सेवाएं, सड़कें, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा तथा इसी तरह की ऐसी सेवाएं शामिल होंगी। तथापि, इसमें स्थापना खर्चे (वेतन तथा मजदूरी सहित) जो प्रत्यक्ष रूप से तथा विशेष रूप से सेवा प्रदान करने के लिए खर्च नहीं किए गए हैं शामिल नहीं होंगे । ''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 311 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 311 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ). ऐसी फीस नियत कर सकता है जो ऐसे निरोध के लिए प्रभारित की जाएगी तथा व्यवस्था करेगा कि कोई ऐसा कुत्ता, जब तक उसका दावा नहीं किया जाता है तथा एक सप्ताह के भीतर उसके संबंध में फीस का भुगतान नहीं कर

दिया जाता है, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले स्थान पर रोक कर रखा जाएगा ।''; तथा

(ii) उपधारा (2) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख). सार्वजनिक नोटिस द्वारा निदेश कर सकता है कि ऐसी तिथि के बाद, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, कुत्ते जो उन्हें निजी सम्पत्ति के रूप में सुभिन्न करने वाले पट्टे के बिना या चिह्न के बिना हों तथा गलियों में या ऐसे कुत्ते के स्वामियों, यदि कोई हो, के गृहों की चारदीवारियों के बाहर आवारा घूमते हुए पाये जाते हैं, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी स्थान पर रोक कर रखे जा सकते हैं ।'' ।

कमल कान्त,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।